



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का 25 अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

क्रमांक ८८। / यांत्रिकी / 2015.

बिलासपुर, दिनांक ०५/०१/१५

कार्यालयीन ज्ञाप

विश्वविद्यालय आवासीय परिसर की सुरक्षा तथा भवनों के मरम्मत/रख-रखाव आदि कार्य की निगरानी, समस्याओं के त्वरित निराकरण किये जाने हेतु आवासीय परिसर सुरक्षा एवं रख-रखाव समिति निम्नानुसार गठित की जाती है:-

- | | |
|---|-----------|
| 01. प्रो.एस.के चतुर्वेदी, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग | - अध्यक्ष |
| 02. परिसर में निवासरत शिक्षक संघ के अध्यक्ष अथवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष द्वारा | - सदस्य |
| द्वारा नामित परिसर में निवासरत शिक्षक | |
| 03. वित्ताधिकारी-पदेन | - सदस्य |
| 04. विश्वविद्यालय यंत्री-पदेन | - सदस्य |
| 05. श्री संतोष त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव | - सचिव |
| 06. सुरक्षा अधिकारी-पदेन | - सदस्य |
| 07. सहायक यंत्री- पदेन | - सदस्य |
| 08. उप-यंत्री(विद्युत एवं सिविल)- पदेन | - सदस्य |
| 09. परिसर में निवासरत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अथवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा | - सदस्य |
| नामित परिसर में निवासरत कर्मचारी | |

समिति आवासीय परिसर की सुरक्षा, निरीक्षण, भवनों के मरम्मत/रख-रखाव तथा अन्य सुविधायें व्यवहारिक रूप में एवं नियमानुसार अनुशंसा करने के लिए अधिकृत होगी समिति समय-समय पर (माह में कम से कम दो बार) बैठक आयोजित कर इस संबंध में अपना प्रतिवेदन/अनुशंसा सतत् प्रक्रिया में कुलसचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत करेगी। अनुशंसा/प्रतिवेदन में ही कार्य की लागत एवं बजट का भी उल्लेख किया जावे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

पृ.क्रमांक ८८.२ / यांत्रिकी / 2014.

बिलासपुर दिनांक ५/१/१५

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलपति जी/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. समिति के सदस्यों को सूचनार्थ।
3. समर्त विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) को इस निवेदन के साथ कि कृपया आवासीय परिसर में निवासरत शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
4. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान विभाग को वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
5. सूचना पटल।

*Ch/PM
6/1/15*

Approved AE
विश्वविद्यालय यंत्री

CSIT/397
06/1/15